FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• श्रेयकंवर पत्नी भीमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भण्डावरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। –प्रार्थीगण

बनाम

• श्रीमति ओमकंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत बालिग निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान वगै –अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– 131,136 भू.राज.अधि.1956

नंबर 41 /2022
ऑनलाइन नंबर 2022/ 42

वकील प्रार्थी अशोकशर्मा वकील प्रतिवादीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2022	यह वादपत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अशोकशर्मा ने अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956 के तहत् पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 17.06.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
17/०६/२०२२	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. / अप्रार्थीगणों के तामिलशुदा नोटिस शा. मि. / अप्रार्थी सं. 01 की ओर से वकील कुश कुमार उपस्थित होकर वकालतनामा पेश जो शा. मि. / वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक २६/०८/२०२२ को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर).	
26/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार अवकाश दिनांक 16/9/22 को पेश हो।	
16/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवक पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/9/22 को पेश हो।	

6/

२५ पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब दुखाड कार्य/राजकार्य/टूर/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार जवाब प्रतिवादी
दिनांक 11/7/25 को पेश हो।

11/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान वादी अनु० प्रति० अनु० । वादी पक्ष प्रतिवादी [illegible] हेतु जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका है।
पत्रावली दिनांक 12/9/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

12/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
[illegible]
हेतु
पत्रावली दिनांक 19/9/25 को पेश हो

WP
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

19/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.
....
....
पत्रावली दिनांक 26/9/25 को पेश हो

WP
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

26/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी/वकील
पक्ष ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश तथा [illegible]
पेश किये जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते
अंतिम कार्यवाही दिनांक 10/10/25 को पेश हो। WP

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

10/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील प्रार्थिया
ने लिखित बहस पेश की। वकील अप्रार्थी ने 07 R 11 का
प्रा०पत्र पेश किया। वकील प्रार्थिया ने जवाब नहीं देकर
सीधी बहस की। प्रा०पत्र 07 R 11 की बहस सुनी गई।
प्रा०पत्र 07 R 11 खारिज किया जाता है। पत्रावली
वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 17/10/25 को पेश हो। WP

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

17/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थी 4 से 7 की ओर से ~~जवाब~~ लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस एवं आदेश हेतु दिनांक 14/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

14/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 2/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

2/1/2026. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 70/2024

अन्तर्गत धारा 88, 136 भू–राजस्व अधि0 1956

श्रीमति श्रेय कँवर पत्नी भीम सिंह जाति राजपूत आयु वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरिया तह– अरांई जिला अजमेर (राज)

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती ओम कँवर पत्नि अर्जुनसिंह जाति राजपूत, बालिग, निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई जिला अजमेर राजस्थान

3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक

4. रतनी पत्नि रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरिया तह० अराई

5. रामकुवांर पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरिया तह० अराई

6. रामधन पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरिया तह० अराई

7. रामस्वरूप पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरिया तह० अराई

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 2/1/26.

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह राठौड द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मण्डावरिया पटवार हल्का मण्डावरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोड़िया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 218 के खसरा संख्या 628/123 रकबा 4.5304 हैक्टेयर, खसरा संख्या 629/123 रकबा 2.0144 हैक्टेयर, खसरा संख्या 630/130 रकबा 1.6342 हैक्टेयर कुल खसरा 3 का कुल रकबा 8 1790 हैक्टेयर है। उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीया के नाम एकल खातेदारी में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीया संख्या 1 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मण्डावरिया पटवार हल्का मण्डावरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोड़िया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 8 के खसरा संख्या 123 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 92 रकबा 1. 8041 हैक्टेयर कुल खसरा 2 का कुल रकबा 8.1790 हैक्टेयर है। उक्त सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम एकल खातेदारी में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया सार्थीया संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि को संयुक्त रूप से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा ग्राम मण्डावरिया पटवार हल्का मण्डावरिया भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का लाम्बा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 92 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 123/1 रकबा 79 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 130/2 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 3 का कुल रकबा 101 बीघा 02 बिस्वा उक्त भूमि के खातेदार अमर सिंह वल्द कल्याणसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार से बहिस्सा बराबर–बराबर में पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था जिसके विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जरिये नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 05.12. 2005 से खसरा संख्या 92 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 123/1 रकबा 79 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 130/2 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 3 का कुल रकबा 101 बीघा 02 बिस्वा लगान 36.11 रू. पर क्रेतीगण श्रीमति ओम कंवर पत्नि अर्जुनसिंह हि० 1/2. श्रीमति श्रेयकंवर पत्नि भीमसिंह हि० 1/2 कौम राजपूत सा. देह खातेदार स्वीकृत हुआ है। उक्त खरीद शुदा भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 का बहिस्सा बराबर–बराबर (1/2–1/2 हिस्सा) अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा संख्या 92 रकबा 11

बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 123/1 रकबा 79 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 130/2 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 3 का कुल रकबा 101 बीघा 02 बिस्वा को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर-बराबर में खरीद करने के पश्चात् उक्त भूमि का प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 की सहमति से राजस्व रिकोर्ड में बंटवारा किया गया जिसके बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 277 दिनांक 19.02.2008 के द्वारा सहमति बंटवारे से खाते की नवीन स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार रही है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 123/1 रकबा 79 बीघा 17 बिस्वा का बंटवारा राजस्व रिकोर्ड में खड़ा करने की सहमति होने पर ही प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के मध्य किया गया था परन्तु बटवारा की तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में करते समय सहवन से खड़ी तरमीम नहीं करके आड़ी तीरछी कर दी गयी है जो राजस्व नक्शा में तरमीम गलत दर्ज हो गयी है। जब कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 मौके पर काबिज काश्त है वह आज भी मौके पर खड़ी बटवारा के अनुसार ही काबिज काश्त है आड़ी तिरछी काबिज नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि के मूल खसरा संख्या 123 रकबा 99 बीघा 17 बिस्वा थे जिसमें से प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा भूमि खरीद करने पर प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम अलग अलग खसरा नम्बर दर्ज किये गये है। जिसके कारण प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 के बंटवारे के खसरो की सहवन से तरमीम नक्शा ट्रेस में खड़ी नहीं करके आड़ी तिरछी कर दी गयी है उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त किये जाने, राजस्व नक्शा में आड़ी तिरछी गलत तरमीम को दुरूस्त करवा कर मौके पर काबिज काश्त अनुसार खड़ी तरमीम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र वास्ते नक्शा में तरमीम को दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे किसी भी सहकाश्तकार के हक एवं अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकोर्ड की नकले दिनांक 27.04.2022 को प्राप्त कर जमाबन्दी व नक्शा का अवलोकन करने पर जानकारी हुई कि प्रार्थीया की कृषि भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस में सहवन से गलत तरमीम आड़ी तिरछी कर दी गयी है जब कि प्रार्थीया की भूमि की तरमीम नक्शा में खड़ी करनी चाहिए थी प्रार्थीया को नक्शा में गलत तरमीम की जानकारी होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी होने से एवं राजस्व रिकोर्ड संधारण करने से एवं अप्रार्थी संख्या 3 बैंक के यहां प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी रहन होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी /काश्तकारी की आराजी प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णितानुसार ग्राम मण्डावरिया पटवार हल्का मण्डावरिया तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसमें प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 628/123 रकबा 4.5304 हैक्टेयर, खसरा संख्या 629/123 रकबा 2.0144 हैक्टेयर कुल खसरा दो का कुल रकबा 6.5448 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 123 रकबा 6.3749 हैक्टेयर भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस में खड़ी तरमीम नहीं करके सहवन से गलत तरमीम आड़ी तिरछी कर दी गयी है जिसके नक्शे में आड़ी तिरछी गलत तरमीम को दुरूस्त करवा कर सही खड़ी तरमीम मौके पर काबिज काश्त अनुसार किये जाने एवं राजस्व रिकोर्ड नक्शा में हो रखी गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने के आदेश बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रदान करावे एवं अप्रार्थी संख्या 2 उसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड नक्शा में सही तरमीम का अमल दरामद करे के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री कुश कुमार उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के मध्य सहमति से बटवारा हो रखा है और उसी सहमति बटवारे के अनुसार नक्शे में तरमीम हो रखी है जिसके समर्थन में नामान्तकरण संख्या 277 दिनांक 19.02.2008 भरा गया था। अतः सहमति से हुये बटवारें व नक्शा दुरुस्ती के विरुद्ध न तो कोई वाद, प्रार्थना पत्र या अपील इत्यादि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती है एवं माननीय न्यायालय को सहमति से हुये बटवारे के बारे में विचारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्ती को पोषणीय नही होने के कारण खारीज किये जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने व उसके द्वारा जो मेहनत करके अपनें हिस्से के खेत की गुणवता में सुधार किया गया है उसको हडपने की नियत से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है इसलिये ऐसा प्रार्थना पत्र जिसका उदेश्य किसी को हानी पहुंचाने का हो पोषणीय नहीं है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस तहसीलदार महोदय, अंराई को नहीं दिया है जिससे वास्तविकता माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकी और बिना दो माह का नोटिस तहसीलदार महोदय, अरांई को दिये ऐसा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीया ने मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या किया है कि 'प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकोर्ड की नकले दिनांक 27.04. 2022 1 को प्राप्त कर जमाबन्दी व नक्शा का अवलोकन करने पर जानकारी हुई कि प्रार्थीया की कृषि भूमि की राजस्व नक्शा टेस में सहवन से गलत तरमीम आडी तिरछी कर दी गई है। यह कथन झूठ है क्योकि प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमी पर इससे पूर्व से ऋण सुविधा प्राप्त कर रखी है जिससे उसे इस तथ्य की पूर्व से ही जानकारी है इसलिये ऐसे झुठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। जिस प्रकार से राजस्व रिकोर्ड में नक्शे में तरमीम हो रखी है उसी अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है इसलिये राजस्व रिकोर्ड में किसीप्रकार की त्रुटी नही होने के कारण ऐसा प्रार्थना

WD

पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया श्रेय कंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 138 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्ती को मारी खर्चे पर खारीज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

तहसीलदार अराई द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में वर्णित भूमि मूल खातेदार अमरसिंह से क्रयशुदा भूमि है। सहमति से वादअधीन भूमि का बंटवारा किया गया था जिसमें ओमकंवर को खसरा संख्या 92 रकबा 11 बीघा 03 बीस्वा, खसरा संख्या 123/1/1 रकबा 39 बीघा 08 बीस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 50 बीघा 11 बीस्वा तथा प्रार्थीया के हिस्से में खसरा संख्या 130/2 रकबा 10 बीघा 02 बीस्वा, खसरा संख्या 123/1/2 रकबा 28 बीघा, खसरा संख्या 123/1/3 रकबा 12 बीघा 09 बीस्वा कुल रकबा 50 बीघा 11 बीस्वा किया गया था। ग्राम मण्डावरिया के खसरा संख्या 123/3 में नामान्तरण संख्या 30 दिनांक 02.09.1977 में अमरसिंह पुत्र कल्याण सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार ने रंगलाल पुत्र उगमा जाति जाट को 20 बीघा भूमि विक्रय कर दी थी। जिसके खसरा संख्या 123/4 दर्ज हुये थेजिसमें उक्त भूमि को नामान्तरण संख्या 30 में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में बेचानशुदा भूमि की स्थिती दर्शाई गई है। सहमति बंटवारा के समय उक्त नामान्तरण में अंकित नजरी नक्शा का ध्यान नहीं रखा गया ओर सहमति बंटवारा दिनांक 19.02.2008 की पालना में उत्तरी दिशा में ओम कंवर के खसरा संख्या 123/1 व दक्षिणी दिशा में प्रार्थीया के खसरे की तरमीम कर दी गई। ग्राम मण्डावरिया के मूल खसरा संख्या 123/3 रकबा 99 बीघा 17 बीस्वा में से विक्रय की गई 20 बीघा भूमि की नामान्तरण परत पर नजरी नक्शा के अनुसार उत्तरी पश्चिमी दिशा में तरमीम दर्शाई गई है जबकि नक्शें में पश्चिम में खसरा संख्या 123/2 दर्ज कर दी गई जिसके वर्तमान खसरा संख्या 627/123 है। नामान्तरण संख्या 30 में क्रेता की तरमीम वर्तमान नक्शा की तरमीम से भिन्न है।

दिनांक 02.02.2024 को तहसीलदार अराई को शुद्धी हेतु प्रस्तावित नक्शा बाबत तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तावित नक्शा मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का बेचान दि. 02/02/1977 को रंगलाल वल्द उगमा कौम जाति जाट को किया गया जिसमें नामा– सं. 30 के जरिए उक्त 20 बीघा भूमि की नामा. पंजिका पर दर्ज नजरी नक्शे अनुसार तरमीम नहीं की गई। तत्पश्चात ग्राम–मण्डावरिया के उपर्युक्त खसरों में 19/02/2008 को सहमति बटवारा हुआ जिसमें खसरा नंबर 123/1/1, 123/1/2 व 123/1/3 की तरमीम संलग्न नक्शे अनुसार की गई। जिसने रंगलाल पुत्र उगमा की भूमि सहित बंटवारा कर दिया गया जबकि रंगलाल पुत्र उगमा कौम जाट को भी बंटवारा में पार्टी के तौर पर शामिल करना चाहिये था। वर्तमान में उक्त विवादित खसरे 627/223 रतनी पत्नि रंगलाल व अन्य रंगलाल के वारिसानें का नाम दर्ज है तथा खसरा संख्या 628/123, 629/123 प्रार्थीया के नाम दर्ज है। जमाबन्दी एवं संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार ही प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है।

दिनांक 31.01.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) का पेश किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा खसरा संख्या 627/123 के खातेदारान को अप्रार्थी संख्या 04 से 07 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 से 07 कर तलबी करवाई गई उनकी ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल चौधरी उपस्थित हुये उनके द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 क्रमशः रतनी, रामकुवार, रामधन, रामस्वरूप की ओर से प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निम्न निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 के कथन जवाबकर्तागण की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 व 5 के कथन गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 ने अन्य लोगो से मिलीभगत कर षड्यन्त्र पूर्वक अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण की कृषि भूमि को भी कूटरचित बटवारे के नक्शा ट्रेस में शामिल करते हुये राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष पेश किया है जो गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है। तथाकथित सहमति बटवारापर अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 के कोई हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी बटवारा सहमति बाबत् नहीं किये गये है। उक्त बटवारा अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण के विरूद्ध प्रारम्भ से ही कूटरचित 3 होने से शून्य होकर निरस्तनीय है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 ने आपस में अन्य लोगो से मिलामगति कर तथाकथित कूटरचित बटवारा अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण की कृषि भूमि को हड़प करने की नियत से तैयार किया गया है उक्त तथाकथित बटवारा प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 ने अन्य लोगो के साथ मिलकर षड्यन्त्र करते हुये अप्रार्थीगण / उत्तदाता संख्या 49 लगायत 7 की कृषि भूमि को सहमति बटवारे के नक्शे में शामिल करते हुये प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 ने लाईन खिंच कर फर्जी व कूट रचित दस्तोवज तैयार कर अपने अपने हिस्से में मिलाकर माननीय न्यायालय में पेश कर माननीय न्यायालय से तथ्य छिपाते हुये फर्जी व कूटरचित को असली के रूप में पेश 13 किया है। इसलिए प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 व अन्य का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जिसके तहत जवाबकर्तागण प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 व अन्य के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 6 के कथन गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। बल्कि वास्तविकता यह है कि एकीकरण खसरा नम्बर 123 रकबा 99 बीघा 17 विस्वा के

एकमात्र खातेदार अमर सिंह पुत्र कल्याण सिंह था जिसने दिनांक 27.04.1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण संख्या 4 लगायत 7 के पूर्वज रंगलाल पुत्र उगमा जाति जाट को उक्त खसरा संख्या 123 रकबा 99 बीघा 17 बिस्वा में से 20 बीघा कृषि भूमि का बेचान करके पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर मौके पर निम्न अड़ौस पड़ौस की कृषि भूमि का कब्जा काश्त संभलाया था। विक्रय की गयी कृषि भूमि 20 बीघा का अड़ौस पड़ौस निम्न प्रकार से है पूर्व में मुझ विक्रेता अमर सिंह की जमीन इसी खसरा नम्बर की, पश्चिम में ग्राम दादिया का रास्ता जो वर्तमान में दादिया मण्डावरिया सड़क है। उत्तर में श्री बजरंग सिंह की जमीन, दक्षिण में मुझ विक्रेता अमरसिंह की दूजी खसरा नम्बर की जमीन नाला को छोड़कर नाला पेटे हक में रहेगा। उपरोक्त अड़ौस पड़ौस के मध्य स्थित 20 बीघा कृषि भूमि पर खरीद दिन से आज तक तक अप्रार्थीगण /उत्तरदातागण के पूर्वज रंगलाल का उसके जीवनकाल तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण के पूर्वज रंगलाल के देहावसान के पश्चात् उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण का ही निर्बाध रूप से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण / उत्तरदाता संख्या 4 लगायत 7 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा संख्या 123/2 रकबा 20 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 627/123 रकबा 3.2360 हैक्टेयर है। अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण द्वारा अपनी संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के खसरा संख्या 627/123 रकबा 3.2360 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार महोदय, अराई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका आदेश क्रमांक/भू.अ. / सीमाज्ञान/2022/58 दिनांक 06.05.2022 की पालना में दिनांक 23.05.2022 को पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा खसरा नम्बर 627/123 का सीमाज्ञान कर बताया गया सीमाज्ञान की कार्यवाही से अप्रार्थी / उत्तरदाता व प्रार्थीया के पति भीमसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र मांगसिंह व अन्य पड़ौसी खातेदार बजरंगसिंह उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया जिस पर अप्रार्थीगण / उत्तरदाता व प्रार्थीया के पति भीमसिंह व अप्रार्थीया संख्या 1 के पुत्र मांगसिंह व उत्तर दिशा के पड़ौस बजरंग सिंह ने अपने सहमति के हस्ताक्षर किये। जिससे भी साबित होता है कि अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण अपनी कृषि भूमि 20 बीघा पर मौके पर भौतिक रूप से वास्तविक काबिज काश्त है। इस कारण अप्रार्थीगण / उत्तरादातागण संख्या 4 लगायल 7 के विरूद्ध प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्तीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के कथन गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र से अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण संख्या 4 लगायत 7 की कृ षि भूमि में हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। क्योंकि अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण अपने पूर्वज के द्वारा खरीद शुदा कृ षि भूमि पर मौके पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त कृषकीय कार्य करते चले आ रहे है यदि प्रार्थीया के द्वारा चाहे अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में कर दी जाती है तो अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण के हित अधिकार प्रभावित हो जायेंगे। जबकि अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण के पूर्वज उक्त भूमि के प्रथम खरीददार है एवं खरीद शुदा 20 बीघा कृषि भूमि के अडौस पडौस विक्रय पत्र दिनांक 27.04.1977 में दे रखे है उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 पश्चातवर्ती खरीददार है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 8 के कथन गलत, मिथ्या, निराधार होने से अस्वीकार है। बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 ने अन्य लोगो से मिलीभगत कर षड्यन्त्र पूर्वक अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण की कृषि भूमि को भी कूटरचित बटवारे के नक्शा ट्रेस में शामिल करते हुये राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष पेश किया है जो गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है। तथाकथित सहमति बटवारा पर अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 के कोई हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी बटवारा सहमति बाबत् नहीं किये गये है। उक्त बटवारा अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण के विरूद्ध प्रारम्भ से ही कूटरचित होने से शून्य होकर निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 11 के कथनो में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना चाही गयी है जो गलत, मिथ्या, निराधार, मनघडन्त, बेबुनियाद तथ्यों के आधार चाही जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अधीन आराजी में अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण संख्या 4 लगायत 7 के विरूद्ध किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जाये। अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण के पूर्वज रंगलाल ने दिनांक 27.04.1977 को ग्राम मण्डावरिया स्थित कृषि भूमि के खसरा संख्या 123 रकबा 99 बीघा 17 बिस्वा में से 20 बीघा कृषि भूमि को उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत से पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके खरीद कर विक्रय पत्र में दर्शित अडोस पड़ोस के अनुसार मौके पर कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त हो गया था। तभी से अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण के पूर्वज का उसके जीवनकाल तक कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा था तथा अप्रार्थीगण /उत्तरदातागण के पूर्वज रंगलाल की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण का ही मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 123/2 रकबा 20 बीघा की राजस्व नक्शा ट्रेस में पटवार हल्का पटवारी के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.1977 में अंकित अडौस पड़ौस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार ही तरमीम की गयी है जो सही तरमीम है। अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण की उक्त तरमीम शुदा कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 627/123 रकबा 3.2360 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार महोदय, अराई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका आदेश क्रमांक / भू.अ. /सीमाज्ञान/2022/58 दिनांक 06.05.2022 की पालना में दिनांक 23.05.2022 को पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा खसरा नम्बर 627/123 का सीमाज्ञान कर बताया गया सीमाज्ञान की कार्यवाही से अप्रार्थी / उत्तरदाता व प्रार्थीया के पति भीमसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र मांगसिंह व अन्य पड़ौसी खातेदार बजरंगसिंह उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर पटवार

हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया जिस पर अप्रार्थीगण / उत्तरदाता व प्रार्थीया के पति भीमसिंह व अप्रार्थीया संख्या 1 के पुत्र मांगसिंह व उत्तर दिशा के पड़ौस बजरंग सिंह ने अपने सहमति के हस्ताक्षर किये। जिससे भी साबित होता है कि अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण अपनी कृषि भूमि 20 बीघा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम शुदा कृषि भूमि पर मौके पर भौतिक रूप से वास्तविक काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण / उत्तरदातागण की कृषि भूमि की मौके पर हो रखी राजस्व नक्शा ट्रेस की तरमीम में किसी तरह का हस्तक्षेप प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 को करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्च के खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 में वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र वर्तमान खसरा संख्या 627/123, 123, 628/123 की तरमीम शुद्वी हेतु पेश किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी जवाब में इस तथ्य को स्वीकारा गया है कि वे पूर्व खातेदार अमरसिंह द्वारा उनके पूर्वाधिकारी द्वारा क्रय की की भूमि पर विक्रय पत्र दिनांक 27.09.1977 के अनुसार काबिज काश्त है, जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट से जाहिर है कि उक्त भूमि में के पूर्ववर्ती खसरा संख्या 123 थे जिसमें खातेदार अमरसिंह द्वारा वादअधीन भूमि में से 20 बीघा रकबा की भूमि जिसके खसरा संख्या 123/1 पडे, उक्त भूमि को रंगलाल वल्द उगमा जाति जाट को बेचान कर दिया था जिसकी नामान्तरण की पुश्त पर नजरी नक्शा के अनुसार उक्त भूमि की तरमीम वर्तमान नक्शें में त्रुटिपूर्ण है, साथ ही विक्रय पत्र में वर्णित अडोस पडोस के अनुसार नहीं की गई है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 27. 09.1977 में उक्त भूमि के संबंध में स्पष्टतया दिशा सहित वर्णन किया गया है, तत्पश्चात हुये सहमति बंटवारे में भी उक्त खसरा को शामिल नहीं किया गया जिससे की राजस्व रिकार्ड में त्रुटि परिलक्षित होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें हैं कि वर्तमान राजस्व नक्शें में ग्राम मण्डावरिया के खसरा संख्या 627/123 की तरमीम संलग्न प्रस्तावित नक्शे के अनुसार खसरा संख्या 83 से लगायत दक्षिण पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करने के आदेश दिये जातें है, खसरा संख्या 123 व 628/123 की तरमीम संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में की जावे तथा तरमीम इस प्रकार की जावे की रकबा बराबर करने पर जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शे में रकबा बराबर रहे। रकबे में किसी प्रकार का अन्तर नही रखा जावे। तहसीलदार अराई को पृथक से तहरीर जारी की जावे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)